न्यायालय : सहायक कलक्टर (फास्ट–ट्रैक) भादरा, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी : श्री राजकुमार कस्वा आरएएस

प्रकरण सं0 : 10/18

अनवान :

1. कृष्ण कुमार पुत्र सतवीर जाति जाट निवासी मिगनी खेड़ा तहसील व जिला हिसार हाल निवासी ग्राम बुढ़ेर तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।
2. राजकुमार पुत्र ओमप्रकाश जाति जाट निवासी मिगनी खेड़ा तहसील व जिला हिसार हाल निवासी ग्राम बुढ़ेर तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।

— वादीगण

बनाम

1. ईश्वर
2. हरिराम

पुत्रान श्रवणी देवी पत्नी अमीलाल जाति जाट निवासी बुढ़ेर तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।

3. बिमला देवी पुत्री श्रवणी देवी जाति जाट निवासी बुढ़ेर हाल निवासी मिगनी खेड़ा तहसील व जिला हिसार। (हरियाणा)

— प्रतिवादीगण

दावा बाबत : इस्तकरार हक व दुरूस्ती रिकार्ड
अन्तर्गत धारा 88 रा0 काश्त0 अधि0 1955
उपस्थिति : वकील श्री कपूरचन्द शर्मा : **वादीगण**
निर्णय **दिनांक :** 21-8-18

संक्षेप में वाद के तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम सूरतपुरा के जमाबंदी सम्वत् 2071 से 2074 के खसरा नं0 नया पुराना 159/151 के मुरब्बा नं0 39 के किला नं0 9, 12 से 17, 24, 25, मुरब्बा नं0 40 के किला नं0 11, 12, 19 से 22, मुरब्बा नं0 48 के किला नं0 1, 2, 10, 11, 20, मुरब्बा नं0 49 के किला नं0 4 से 8, 13 से 18, 23 कुल 8.0960 हैक्टेयर बारानी कृषि भूमि में 1/2 हिस्सा भूमि श्रवणी देवी पत्नी अमीलाल जो वादी संख्या 1 की सगी नानी है, कि खातेदारी कृषि भूमि है, जो उसने रिसालसिंह पुत्र मेहरचंद जाति जाट निवासी सूरतपुरा से कीमतन क्रय की थी। खातेदार श्रवणी देवी पत्नी अमीलाल का देहान्त ग्राम बुढ़ेर मे दिनांक 30.11.2016 को हो चुका है। श्रवणी देवी पत्नी अमीलाल ने अपनी मृत्यु से पूर्व अपने उपरवर्णित कुल 1/2 हिस्सा भूमि जो उसकी स्वअर्जित भूमि थी की वसीयत दिनांक 14.11.2014 को वादीगण के पक्ष में बहिस्सा बराबर बरोबरू गवाहान स्वेच्छा से निष्पादित करवा दी थी, उक्त वसीयत श्रवणी देवी की प्रथम व अन्तिम वसीयत है, एवं वादीगण मुताबिक वसीयत श्रवणी देवी की मृत्यु के तुरन्त बाद श्रवणी देवी के नाम दर्ज 1/2 हिस्सा भूमि के बहिस्सा बराबर के खातेदार काश्तकार हो गये।

चूंकि प्रतिवादी संख्या 1 व 2 मृतक श्रवणी देवी के पुत्र है, तथा प्रतिवादिया संख्या 3 श्रवणी देवी की पुत्री है, चूंकि श्रवणी देवी की मृत्यु वसीयती हुई है, इसलिऐ उक्त विवादित भूमि में उसके नैसर्गिक उतराधिकारीयों का कोई हक–हिस्सा नही है, तथा मुताबिक वसीयत श्रवणी देवी के नाम दर्ज 1/2 हिस्सा भूमि के वादीगण बहिस्सा बराबर के खातेदार काश्तकार है, परन्तु प्रतिवादीगण के मन में लालच आ गया, तथा वे श्रवणी देवी के नाम दर्ज 1/2 हिस्सा भूमि को अपने नाम नामान्तरण दर्ज करवाने पर तुले है, यदि वे वादीगण की खातेदारी भूमि को अपने नाम दर्ज करवा लेते है, तो वादीगण को ना पूरा होने वाला नुकसान होगा, ऐसी सूरत मे वादीगण यह घोषणा करवा पाने का कानूनी अधिकारी है, कि दावा कि मद संख्या 1 में वर्णित कुल वाद भूमि में श्रवणी देवी के नाम दर्ज 1/2 हिस्सा के खातेदार काश्तकार है, तथा वाद भूमि में प्रतिवादी संख्या 1 से 4 का कोई हक–हिस्सा नही है।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण का जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामील होने के उपरान्त वादीगण व प्रतिवादीगण सं0 1 ता 3 ने राजीनामा पेश किया जो बाद तस्दीक शामिल पत्रावली किया गया।

साक्ष्य वादीगण में वादी कृष्ण कुमार पुत्र सतवीर, कृष्ण कुमार पुत्र बिहारीलाल, रविन्द्र पुत्र अर्जूनसिंह के सशपथ बयान करवाये गये। दस्तावेजी साक्ष्य में सत्यप्रतिलिपि जमाबन्दी ग्राम सुरतपुरा खाता सं0 159/151 सम्वत् 2071 से 74 प्रदर्श 1, चित्रप्रति बैयनामा दिनांक 24.04.2006 प्रदर्श 2, चित्रप्रति वसीयतनामा 14.11.2014 प्रदर्श 3ए, चित्रप्रति मृत्यु प्रमाण पत्र प्रदर्श 4, चित्रप्रति वारिस प्रमाण पत्र प्रदर्श 5 प्रदर्शित करवाई।

बहस वकील वादीगण सुनी गई। दौराने बहस वकील वादीगण ने अपने दावा के तथ्यों को दौहराते हुए कथन किया कि विवादित कृषि भूमि श्रवणी की क्रयशुदा कृषि भूमि थी। श्रवणी देवी की दिनांक 30.11.2016 को मृत्यु हो चुकी है। विवादित कृषि भूमि श्रवणी की स्वार्जित कृषि भूमि थी जिसकी वसीयत दिनांक 14.11.2014 को वादीगण के पक्ष निष्पादित करवाई थी। इस प्रकार वाद वादीगण मुताबिक राजीनामा डिक्री किये जाने हेतु निवेदन किया।

हमारे द्वारा विद्वान अभिभाषक की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली का ध्यान पूर्वक अवलोकन कि‌या गया। हस्तगत प्रकरण में वादीगण ने ग्राम सुरतपुरा में श्रवणी के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज भूमि में मुताबिक वसीयत दिनांक 14.11.2014 के अपने हकों की घोषणा करवाने हेतु वाद पेश किया है। विवादित भूमि श्रवणी की क्रयशुदा भूमि है जो प्रदर्श 2 बैयनामा से साबित है एवं श्रवणी द्वारा वादीगण के पक्ष में निष्पादित वसीयत प्रदर्श 3ए को स्वयं वादी व वसीयत के ग्वाह कृष्णकुमार पुत्र बिहारीलाल व वसीयत को तस्दीक कर्ता नोटेरी के सशपथ कथनों से साबित करवाया है एवं प्रतिवादीगण जो मृतक श्रवणी के विधिक वारिसान है ने अपना राजीनामा पेश किया है। इस प्रकार वाद वादीगण साबित है।

अत : वाद वादीगण डिक्री योग्य होने के कारण मुताबिक राजीनामा डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि ग्राम सूरतपुरा खाता संख्या 159/151 के

मुरब्बा नं0 39 के किला नं0 9, 12 से 17, 24, 25, मुरब्बा नं0 40 के किला नं0 11, 12, 19 से 22, मुरब्बा नं0 48 के किला नं0 1, 2, 10, 11, 20 व मुरब्बा नं0 49 के किला नं0 4 से 8, 13 से 18, 23 कुल 8.0960 हैक्टेयर बारानी खातेदारी कृषि भूमि में श्रवणी देवी पत्नी अमीलाल जाति जाट निवासी बुढ़ेर के नाम दर्ज 1/2 हिस्सा भूमि के वादीगण संयुक्त रूप से समभाग बहिस्सा बराबर के खातेदार काश्तकार है तथा उक्त भूमि में प्रतिवादी संख्या 1 से 3 का कोई हक–हिस्सा नही है। उक्त खाता संख्या 159/151 की 8.0960 हैक्टेयर भूमि में श्रवणी देवी पत्नी अमीलाल कौम जाट साकिन बुढ़ेर का नाम कलमजन कर उक्त 1/2 हिस्सा कृषि भूमि वादी संख्या 1 कृष्ण कुमार पुत्र सतवीर जाति जाट व वादी संख्या 2 राजकुमार पुत्र ओमप्रकाश जाति जाट निवासीगण मिगनी खेड़ा हाल निवासी बुढ़ेर तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़ के नाम यदि विवादित कृषि भूमि बैक के रहन है तो रहन मुक्त होने के पश्चात संयुक्त रूप से समभाग बहिस्सा बराबर खातेदार दर्ज किया जावें। खर्चा उभय पक्ष अपना अपना वहन करे। पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 21-2-18 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट (फास्ट ट्रैक) भादरा (हनुमानगढ़)

(राजकुमार कस्वा)
सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक) भादरा (हनु.)
R.A.S.
सहायक कलक्टर (फास्ट–ट्रैक
भादरा, जिला हनुमानगढ़

पर्चा डिक्री

न्यायालय : सहायक कलक्टर (फास्ट–ट्रैक) भादरा, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी : श्री राजकुमार कस्वा आरएएस

प्रकरण सं0 : 10/18

अनवान :

1. कृष्ण कुमार पुत्र सतवीर जाति जाट निवासी मिगनी खेड़ा तहसील व जिला हिसार हाल निवासी ग्राम बुढ़ेर तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।
2. राजकुमार पुत्र ओमप्रकाश जाति जाट निवासी मिगनी खेड़ा तहसील व जिला हिसार हाल निवासी ग्राम बुढ़ेर तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।

— **वादीगण**

बनाम

1. ईश्वर
2. हरिराम } पुत्रान श्रवणी देवी पत्नी अमीलाल जाति जाट निवासी बुढ़ेर तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।
3. बिमला देवी पुत्री श्रवणी देवी जाति जाट निवासी बुढ़ेर हाल निवासी मिगनी खेड़ा तहसील व जिला हिसार। (हरियाणा)

— **प्रतिवादीगण**

आज यह वाद मुझ राजकुमार कस्वा सहायक कलक्टर (फास्ट–ट्रैक) भादरा के समक्ष वकील वादीगण श्री कपूरचन्द शर्मा की उपस्थिति में निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर एवं डिक्री योग्य होने के कारण मुताबिक राजीनामा डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि ग्राम सूरतपुरा खाता संख्या 159/151 के मुरब्बा नं0 39 के किला नं0 9, 12 से 17, 24, 25, मुरब्बा नं0 40 के किला नं0 11, 12, 19 से 22, मुरब्बा नं0 48 के किला नं0 1, 2, 10, 11, 20 व मुरब्बा नं0 49 के किला नं0 4 से 8, 13 से 18, 23 कुल 8.0960 हैक्टेयर बारानी खातेदारी कृषि भूमि में श्रवणी देवी पत्नी अमीलाल जाति जाट निवासी बुढ़ेर के नाम दर्ज 1/2 हिस्सा भूमि के वादीगण संयुक्त रूप से समभाग बहिस्सा बराबर के खातेदार काश्तकार है तथा उक्त भूमि में प्रतिवादी संख्या 1 से 3 का कोई हक–हिस्सा नही है। उक्त खाता संख्या 159/151 की 8.0960 हैक्टेयर भूमि में श्रवणी देवी पत्नी अमीलाल कौम जाट साकिन बुढ़ेर का नाम कलमजन कर उक्त 1/2 हिस्सा कृषि भूमि वादी संख्या 1 कृष्ण कुमार पुत्र सतवीर जाति जाट व वादी संख्या 2 राजकुमार पुत्र ओमप्रकाश जाति जाट निवासीगण मिगनी खेड़ा हाल निवासी बुढ़ेर तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़ के नाम यदि विवादित कृषि भूमि बैक के रहन है तो रहन मुक्त होने के पश्चात संयुक्त रूप से समभाग बहिस्सा बराबर खातेदार दर्ज किया जावें। खर्चा उभय पक्ष अपना अपना वहन करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 21-2-18 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

(राजकुमार कस्वा)
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक) भादरा
R.A.S.
सहायक कलक्टर (फास्ट–ट्रैक
भादरा, जिला हनुमानगढ़